डीका

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

5 भारत 5 NOTARIAL RUPEES FIVE

5 भारत 5 NOTARIAL RUPEES FIVE

CANCELLED

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

144 448496

समक्ष रिटर्निंग अधिकारी
59, विधानसभा क्षेत्र, हल्द्वानी

- शपथ पत्र -

शपथकर्ता - अब्दुल मतीन सिद्दीकी

A. Matin

(71)

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

............................................59 हल्द्वानी........ निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..........उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं,..........अब्दुल मतीन सिद्दीकी.....पुत्र / ~~पुत्री / पत्नी~~...अब्दुल मोईन........................आयु.....................50 वर्ष, जो....हल्द्वानी.......का / ~~की~~ निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / ~~करती हूँ~~ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं........विवरण संलग्न है।............

(ii) पुलिस थाना (थाने)....हल्द्वानी.......जिला (जिले)....नैनीताल....राज्य....उत्तराखण्ड

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है......विवरण संलग्न है।.........

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई प्र.अ.सि.ज.जू.डि./न्यायिक म. हल्द्वानी

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे........विवरण संलग्न.....

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं.......नहीं.......................................

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..........X..........

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..........X..........

(iii) पुलिस थाना (थाने)..........X....जिला (जिले).....X..........राज्य.......X.......

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी को दोषसिद्ध किया गया है..........X..........

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे..........X

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं .....X.....

..............................................

स्थान : हल्द्वानी

तारीख : 12-1-2012

A. Matin

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(21)

## सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

.................................हल्द्वानी..... स्थान पर आज तारीख..............12.01.12.....को सत्यापित किया।

A. Matin
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तंम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

Certified that Sri/Smt. Abdul Matin Siddiqui
the Deponent Identified by ....Self
Sworn & Verified ...
the Affidavit ... 2:41 Pm
on Date 12-1-12
Joshi 12-1-12
(K. C. JOSHI)
Notary, HALDWANI
Distt. Nainital (UK.) India